**मुख्य कार्यालय परिसर और आवासीय कॉलोनियों में निजी सुरक्षा गार्डों की सेवाएं प्रदान करना- बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त और शुद्धिपत्र:**

 **(ई-टेंडर नंबर: आरबीआई/चेन्नई/एस्टेट/421/22-23/ईटी/655)**

निविदा दस्‍तावेज अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट अनुसार उक्‍त कार्य की बोली-पूर्व बैठक 22 फरवरी 2023 को दोपहर 02:30 बजे सम्‍मेलन कक्ष-1, दूसरी मं‍जि़ल, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्‍नै में आयोजित की गई। प्रारंभ में, महाप्रबंधक (एचआरएमडी) ने बोली-पूर्व बैठक के सभी सहभागियों का स्वागत किया और उन्‍होंने वेंडरों को सूचित किया कि वे विभिन्न वैधानिक और गैर-वैधानिक पहलुओं पर निर्बाध रूप से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित स्टाफ सदस्य और फर्म/ संभावित निविदाकर्ता बोली-पूर्व बैठक के दौरान उपस्थित थे:

|  |  |
| --- | --- |
| **क्र.सं.** | **आरबीआई अधिकारी का नाम और पदनाम** |
| 1 | श्री एस इलंगो, महाप्रबंधक (एचआरएमडी) |
| 2 | कैप्टन चंद्र मोहन उनियाल, सहायक प्रबंधक (पीपी) (पी एंड एस) |
| 3 | स्क्वाड्रन लीडर रमनदीप सिंह चोपड़ा, सहायक प्रबंधक (पी एंड एस) |
| 4 | श्री उप्पला नागराजू, सहायक प्रबंधक (एचआरएमडी) |
| 5 | श्री राजेश बोनागिरी, सहायक प्रबंधक (संपदा)  |
| 6 | श्री तमिल मणि पीआर, सहायक (पी एंड एसई) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **एसएल नंबर।** | **फर्म / कंपनी का नाम** | **प्रतिनिधि का नाम**  |
| 1 | तिरुमाल फेसिलिटीज़ सर्वीस  | श्री पी लॉरेंस |

**टिप्पणी:** मैसर्स मार्शल केनेल और डॉग सिक्योरिटी ने 14 फरवरी, 2023 को ईएमडी जमा किया।

उपर्युक्त कंपनियों/फर्मों द्वारा पूछे गए प्रश्‍नों के लिए दिया गया स्पष्टीकरण निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **प्रश्न/प्रस्ताव**  | **आरबीआई अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण** |
| 1 | क्या ईएमडी की कोई छूट लागू है? | ईएमडी की छूट केवल उद्यम पंजीकरण (उद्योग आधार ज्ञापन संख्‍या) रखने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू है  |

2. इच्छुक बोलीदाताओं के लिए सूचना के लिए उपर्युक्त स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त बोली दस्तावेज/करार का हिस्‍सा होगा। बोली दस्तावेज के सभी नियम और शर्तों तथा विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं है। अत: इसे निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाएगा। बोलियों के प्रस्‍तुतीकरण के संबंध में यह माना जाएगा कि वे बोली दस्तावेज और उपर्युक्त स्पष्टीकरणों के अनुरूप हैं।